मध्यान्ह भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

तृतीय तल,अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–2304363 ई मेल–lkomdm@gmail.com
फोन नं0–0522–2308501, 2307093, 2307094 Website: www.upmdm.org

---

पत्रांकः म0भो0प्रा0/सी-१8७ /2010–11 दिनांक : २१ जून, 2010

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः <u>परिवहन व्यय के भुगतान जनपद स्तर पर विकेन्द्रीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–642/79–6–10 दिनांक 26–04–10 जो समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0 को सम्बोधित एवं अन्य के अतिरिक्त आपको पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित शासनादेश द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त खाद्यान्न के मूल्य का भुगतान जनपद स्तर पर ही किए जाने की व्यवस्था की गई है।

उक्त की भाँति उठान किए गये खाद्यान्न के परिवहन का भुगतान भी दिनांक 01–04–10 से जनपद स्तर से किए जाने की अनुमति सचिव, बेसिक शिक्षा/उपाध्यक्ष, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के अनुमोदन दिनांक 31–05–10 द्वारा प्राप्त हो गई है। तद्नुसार कार्यदायी संस्था को भुगतान तथा उसके अनुश्रवण की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है।

<u>परिवहन व्यय का भुगतान</u>

1. परिवहन व्यय के भुगतान हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा के संयुक्त हस्ताक्षर से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक (जिसमें सी0बी0एस0 की सुविधा भी हो) में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर खाता खोला जायेगा। उक्त खाता संख्या, बैंक का नाम एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना तत्काल प्राधिकरण को दी जायेगी। ताकि सम्बन्धित खाते में परिवहन व्यय सम्बन्धी धनराशि का हस्तानान्तरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सके।
2. जनपद में कार्यरत जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में परिवहन सम्बन्धी विपत्र भुगतान प्राप्त किये जाने हेतु ससमय सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए प्रत्येक माह के अन्त तक प्रस्तुत किया जायेगा।
3. जिन जनपदों में उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा परिवहन का कार्य किया जाता है, वहां के सहायक प्रबन्धक (लेखा)/निगम के जिला प्रभारी उक्तानुसार परिवहन विपत्र प्रस्तुत करेंगे।
4. जिन जनपदों में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा योजनान्तर्गत खाद्यान्न का उठान जिलाधिकारी की लिखित अनुमति के उपरान्त सीधे एफ0सी0आई0 गोदाम से किया जा रहा है, उनके परिवहन विपत्र स्वयं सेवी संस्था द्वारा स्वयं प्रस्तुत किये जायेंगे।
5. कार्यदायी संस्था द्वारा परिवहन व्यय के विपत्र निर्धारित प्रारूप (**संलग्नक–**1) पर भारतीय खाद्य निगम के भण्डार गृह से विद्यालय तक खाद्यान्न के परिवहन व्यय हेतु वास्तविक व्यय के आधार पर विभिन्न घटकों पर होने वाले व्यय का स्पष्ट उल्लेख करते हुए इस

प्रमाण–पत्र के साथ उपलब्ध कराना होगा कि परिवहन व्यय की दरें प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डर/जिलाधिकारी दर के आधार पर न्यूनतम है।

6. कार्यदायी संस्थाओं को परिवहन व्यय का भुगतान भारत सरकार के दिशानिर्देश के क्रम में वास्तविक व्यय अथवा रू0 75.00 प्रति कुन्तल जो भी न्यूनतम् हो, देय होगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा अपने प्रस्तुत बिल के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा कि भारतीय खाद्य निगम गोदाम से विद्यालय तक आवंटित खाद्यान्न जनपद के सम्बन्धित विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया है।
8. कार्यालय को प्राप्त परिवहन सम्बन्धी विपत्र में मात्रा का परीक्षण एम0डी0एम0 सेल द्वारा तथा वित्तीय परीक्षण वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
9. वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद तीन दिन के अन्दर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) के द्वारा भुगतान सम्बन्धी चेक/ड्राफ्ट "वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (खाद्य) सम्भाग के नाम अथवा उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, 17, गोखले मार्ग, लखनऊ" जैसी स्थिति हो, के नाम जारी किया जायेगा और जिस स्तर से व्यय सम्बन्धी विपत्र प्राप्त हुआ है उसे चेक/ड्राफ्ट उपलब्ध करा दिया जायेगा।
10. उठान एजेन्सी द्वारा आगामी माह का परिवहन बिल प्रस्तुत करते समय विगत माह के खाद्यान्न के विद्यालयवार/कार्यदायी संस्थावार वितरण का विवरण भी संलग्न प्रारूप पर **(संलग्नक–2)** जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
11. परिवहन व्यय से सम्बन्धित लेखा पृथक से रखा जायेगा।
12. उक्त धनराशि का व्यय किसी अन्य योजना / उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
13. मध्यान्ह भोजन योजनार्न्तगत उठान किए गये खाद्यान्न के सापेक्ष परिवहन व्यय का मासिक विवरण संलग्न प्रारूप पर **(संलग्नक–3)** आगामी माह की 10 ता0 तक प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

<u>संलग्नक –उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(आमोद कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग,द्वितीय तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
2. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0,लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) को प्राधिकरण के पत्रांक–म0भो0प्र0–सी–2901 /2009–10 दिनांक 18–11–2009 के अनुक्रम में इस निर्देश के साथ कि 01 अक्टूबर, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक खाद्यान्न परिवहन का भुगतान अपने स्तर से सुनिश्चित करते हुए अवशेष उपलब्ध धनराशि की सूचना प्राधिकरण को एक पक्ष के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. मण्डलीय मुख्यालय जनपद पर कार्यरत वित्त एवं लेखाधिकारी–बेसिक शिक्षा।
5. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0।

23-06-10
(आमोद कुमार)
निदेशक

संलग्नक–1

परिवहन व्यय का विवरण

(आदेश सं0 सी987 दिनांक 29.06.10 के प्रस्तर–5 के अनुसार)

1. मण्डल : ....जनपद ....
2. कार्यदायी संस्था : ....
3. अवधि : ....
4. आर0ओ0संख्या : ....
5. बिल नम्बर : ....दिनांक ....

क्र. सं.	विवरण	ब्लाक	मात्रा (कुन्तल में)		दर (रू0 75.00 प्रति कुन्तल)	कुल धनराशि
			एफ0सी0आई0 से प्राप्त	विद्यालयों तक पहुंचाई गयी मात्रा		
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL					

प्रमाणित किया जाता है कि:–

1. बिल प्रथम बार भुगतान हेतु प्रस्तुत है।
2. कॉलम–5 में वर्णित खाद्यान्न की मात्रा वास्तव में विद्यालय तक कार्यदायी संस्था द्वारा पहुँचाई गयी है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि निगम/विभाग द्वारा विभिन्न घटकों जैसे हैण्डलिंग व्यय/गोदाम किराया/गोदाम रख–रखाव/परिवहन/प्रशासनिक व्यय आदि पर कुल व्यय रू0 75.00 प्रति कुन्तल से अधिक किया गया हैं परिवहन की दरें प्रतिस्पर्धात्मक टेंडर/जिलाधिकारी दर के आधार पर न्यूनतम हैं।

हस्ताक्षर :

अधिकारी का नाम :

पद नाम : जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी/
जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य खाद्य
एवं आवश्यक वस्तु निगम

कार्यालय मोहर

संलग्नक–2

विद्यालयवार उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न का विवरण

(आदेश सं0 सी-987 .... दिनांक 29.06.10 के प्रस्तर–10 के अनुसार)

जनपद............................ माह............................

क्र.सं.	नगर क्षेत्र/ब्लाक का नाम	वार्ड/ग्राम पंचायत का नाम	विद्यालय का नाम	आपूर्तित खाद्यान्न की मात्रा (कुन्तल में)			उचित दर विक्रेता का नाम जिसके माध्यम से खाद्यान्न विद्यालय को आपूर्ति की गयी
				गेहूँ	चावल	**योग**	
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर :

अधिकारी का नाम :

पद नाम : जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी/
जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य खाद्य
एवं आवश्यक वस्तु निगम

कार्यालय मोहर

संलग्नक–3

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत उठान किये गये खाद्यान्न के सापेक्ष परिवहन व्यय का मासिक विवरण

(आदेश सं0 सी-987 दिनांक 29.06.10 के प्रस्तर–13 के अनुसार)

जनपद का नाम–

वित्तीय वर्ष–

माह का नाम–

क्रम सं0	माह के आरम्भ में अवशेष धनराशि	माह में प्राप्ति धनराशि	कुल धनराशि	माह में भुगतान की गयी धनराशि	माह के अन्त में अवशेष	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4=(2+3)**	**5**	**6=(4-5)**	**7**

हस्ताक्षर

(नाम–   )
वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)
जनपद–